24

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण : कमांक 1037–तीन/2010 विरूद्ध आदेश, दिनाक 30–4–2010 पारित द्वारा आयुक्त, शहडोल सभाग, शहडोल के प्रकरण कमांक 678/अ–6/अपील/08–09.

1 ओम प्रकाश राठौर आ0 इन्द्र सिंह राठौर
निवासी पुरानी डिण्डोरी तहसील व जिला डिण्डोरी
2 मु0 लच्छू भाई पुत्री इन्द्र सिंह राठौर
निवासी ग्राम बरसिंया (अमरपुर) तहसील व जिला डिण्डोरी
3 मु0 नानदुरिया बाई पुत्री इन्द्र सिंह राठौर
निवासी ग्राम चटुवा तहसील व जिला डिण्डोरी
4 मु0 भागवती बाई पुत्री इन्द्रसिंह राठौर
निवासी ग्राम चटुवा तहसील व जिला डिण्डोरी
5 मु0 कुतरन बाई पुत्री इन्द्र सिंह राठौर
निवासी ग्राम खुडिया (अमरपुर) तहसील व जिला डिण्डोरी
6 मु0 बिन्जू बाई पुत्री इन्द्र सिंह राठौर
निवासी ग्राम बिछिया (सिमरिया) तहसील व जिला डिण्डोरी

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 अमर सिंह आ0 स्व0 श्री कुमार सिंह राठौर
2 रघुवीर सिंह आ0 स्व0 श्री कुमार सिंह राठौर
3 रोहणी प्रसाद आ0 स्व0 श्री कुमार सिंह राठौर
4 दूनाबाई पत्नि आ0 स्व0 श्री कुमार सिंह राठौर
उक्त निवासी ग्राम पुरानी डिण्डोरी तहसील व जिला डिण्डोरी म0 प्र0
5 श्रीमती गुलाब वती पिता बाला सिंह राठौर
निवासी डगडैआ जिला उमरिया
6 तोताराम पिता बाला सिंह राठौर
7 उर्मिलाबाई पुत्री बाला सिंह राठौर
8 रेवती बाई पुत्री बाला सिंह राठौर

9 रूही बाई बाला पुत्री सिंह राठौर
10 मायाबाई पुत्री बाला सिंह राठौर
11 गौरेलाल पिता दुलारे राठौर
सभी निवासी ग्राम पुरानी डिण्डोरी
तहसील व जिला डिण्डौरी म0 प्र0

–अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 एवं 2
श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 7 से 12

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6-12-2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, चंबल संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 678/अपील/08–09 में पारित आदेश दिनांक 30–4–2010 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक के पूर्व भूमिस्वामी इन्द्रसिंह द्वारा एक आवेदन तहसीलदार डिण्डोरी के न्यायालय में सभी ग्रामो की शामिल भूमि के खातों के आपसी विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया। बंटवारे फर्द प्रस्तुत कर तथा सहमति से तहसीलदार द्वारा दिनांक 13–7–2004 को बंटवारा आदेश पारित किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, डिण्डोरी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 35/अ–6/03–04 में पारित आदेश दिनांक 27–2–2007 द्वारा उक्त अपील अमान्य कर तहसीलदार के आदेश दिनांक 13–7–2004 को यथावत रखा गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा आयुक्त के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 30–4–2010 द्वारा अनावेदकगण की अपील

स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए गए हैं ।

4/ अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए गए हैं कि अपर आयुक्त ने जो आदेश पारित किया है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार न्यायालय की डिकी को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित नहीं किया गया है, इस कारण उन्होंने दोनों आदेशों को निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को व्यवहार न्यायालय की डिकी को ध्यान में रखते हुए सहमति के आधार पर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है और उनका आदेश पुष्टि योग्य है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर